(02) **<u>14—10—2022</u>** पत्रावली पेश। पुकार पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री यू0सी0 डूगरिया तथा उत्तराखण्ड राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता श्री वी0डी0 जोशी उपस्थित।

अपीलार्थी राजकुमार की हाजिरी माफी तथा बहस की तैयारी न होने के कारण स्थगन प्रार्थना पत्र 09ख द्वारा विद्वान अधिवक्ता पेश। न्यायहित में आज की तिथि बाबत स्वीकृत।

अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा—437ए दं0प्र0सं0 की अनुपालना हेतु ₹ 35,000/— का एक व्यक्तिगत बन्द पत्र एवं इतनी ही धनराशि का एक जमानती पेश करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली वास्ते अनुपालना धारा 437ए दं0प्र0सं0 दिनांक **10—11—2022** को पेश हो। अवर न्यायालय से मूल अभिलेख तलब हो।

(कहकशा खान)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
चम्पावत।